

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सिं0मो0- DPR- 241/2020-21 1451 (मौ) / पटना, दिनांक:- 20-07-2020  
प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियंता,  
मुख्यालय अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,  
सभी मुख्य अभियंता,  
लघु जल संसाधन विभाग.....।

विषय:- योजनाओं के प्राक्कलन की शुद्धता के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि योजनाओं का प्राक्कलन सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित होना चाहिए। तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने वाले पदाधिकारी की यह जबावदेही है कि वे प्राक्कलन की शुद्धता की जांच कर लेंगे।

सभी स्तर से अनुमोदित प्राक्कलन मुख्य अभियंता स्तर से ही प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग में आनी चाहिए।

अतः मुख्य अभियंता कृपया यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राक्कलन की शुद्धता की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा कर ली गयी है। इसके पश्चात ही प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन विभाग को भेजी जाय।

विश्वासभाजन



अधीक्षण अभियंता (मु0)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।